न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 40/2011

उनवान

सुण्डी पत्नी लादू जाति गुर्जर जरियें पावॅर आफ अटोर्नी होल्डर उंकार पुत्र रेवंता निवासी बावडी, श्रीनगर, नसीराबाद

—— वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1 राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
2. अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

—— प्रतिवादीगण :– 1 जरियें राज. पैराकार
2 जरियें अधिवक्ता श्री संदीप अग्रवाल

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 अ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

-: निर्णय :– दिनांक :– 17/3/24

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम श्रीनगर तहसील नसीराबाद के वंर्किग खसरा नम्बर 1103 रकबा 3–12–0 के हाल खसरा नम्बर 4487/7273 रकबा 0.19, 1704 रकबा 0.14 में से 0.10 व 1699 रकबा 1.08 में से 0.30 की आराजी वादी की खातेदारी की है। उक्त आराजी नामान्तकरण संख्या 1480 दिनांक 14.10.92 से वादी के नाम गेर खातेदारी दर्ज की गयी तथा नामान्तकरण संख्या 788 दिनांक 27.11.04 से वादी के नाम खातेदारी दर्ज की गयी। हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दी गयी। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी को घोषित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 का जवाब दिनांक 14.02.12 को बंद किया गया। तहसीलदार नसीराबाद ने प्रकरण में रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। वाद विचारण के दौरान प्रतिवादी संख्या 2 को प्रकरण में पक्षकार मुर्तिब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

अधिवक्ता वादी ने प्रकरण में राजस्व अ[illegible] किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

वहस उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रा[illegible] विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। आराजी मुत[illegible] वंर्किग खसरा नम्बर [illegible] रकबा 3–12–0 1480 दिनांक 14.10.92 से वादी के नाम गै[illegible] खातेदारी व नामान्तकरण [illegible] 788

——2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:30:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

दिनांक 27.11.04 से खातेदारी दर्ज हुयी। वंकिंग खसरा नम्बर 1103 रकबा 3–12–0 के हाल खसरा नम्बर 1699, 1704 व 4487/7273 बने है। उक्त आराजी राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज है। तथा तहसीलदार नसीराबाद की रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज है। वादी द्वारा आराजी मुतनाजा के आवंटन के दस्तावेज वादी द्वारा पेश नही किये गये है। साथ ही आराजी मुतनाजा पर वाद का पूर्व में कब्जा व वर्तमान में कब्जे के प्रमाण में वादी ने कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नही किये है। भूमि राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज थी जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज है। आराजी मुतनाजा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज होने के आदेश के विरूद्व भी वादी द्वारा कोई चाराजोही नही की गयी है। सिवायचक आराजी पर बिना कब्जे के खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना न्यायोचित नही है। वादी ने अपना वाद सिद्व करने के लिये प्रकरण में साक्ष्य भी पेश नही किये है।

उक्तानुसार ग्राम श्रीनगर के नम्बर हाल खसरा नम्बर 4487/7273 रकबा 0.19, 1704 रकबा 0.14 में से 0.10 व 1699 रकबा 1.08 में से 0.30 की आराजी पर वादी का वाद ''खारिज'' किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:30:36 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

सुण्डी बनाम सरकार

दावा बाबत :– 88, 188, 92अ राज. का. अधि0 1955 व धारा 136 भू राज. अधि. 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 40/2011
पेश करने की दिनांक – 10.03.2011

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक मुद्दई सुखदेव चौधरी अभिभाषक संदीप अग्रवाल व राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम श्रीनगर के नम्बर हाल खसरा नम्बर 4487/7273 रकबा 0.19, 1704 रकबा 0.14 में से 0.10 व 1699 रकबा 1.08 में से 0.30 की आराजी पर वादी का वाद "खारिज" किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक—— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 17 माह 9 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:30:36 IST
Reason: SelfAttested